

फा. सं. ए.-32012/1/2018-प्रशा. III

प्रशासन-III अनुभाग  
संघ लोक सेवा आयोग

धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड  
नई दिल्ली, दिनांक 5 जून, 2024

कार्यालय आदेश

इस विषय पर सभी पूर्ववर्ती आदेशों के अधिक्रमण में, संघ लोक सेवा आयोग कार्यालय में विभागीय प्रोन्नति समितियों, विभागीय स्थायी समितियों, विभागीय स्थायीकरण समितियों और विभागीय समीक्षा समितियों की संरचना निम्नानुसार होगी :-

**2. विभागीय प्रोन्नति समिति :-**

**(क) विभागीय प्रोन्नति समिति (वरिष्ठ सं.1)**

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सभी समूह 'ख' पदों (सहायक अनुभाग अधिकारी तथा अनुभाग अधिकारी) तथा लेवल 10 तक पे मेट्रिक्स वाले सभी संवर्ग-बाह्य पदों के लिए, जहां भर्ती नियमों में किसी विशिष्ट विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना का निर्धारण नहीं किया गया है

i	अपर सचिव (प्रशासन शाखा के प्रभारी)	अध्यक्ष
ii	संयुक्त सचिव (प्रशासन शाखा के प्रभारी)	सदस्य
iii	श्री इमरान फरीद, उप सचिव	सदस्य
iv	श्री अमरीश कुमार, उप सचिव	सदस्य
v	सुश्री श्रीकला एस, अवर सचिव	सदस्य

टिप्पणी : उपर्युक्त पदों के संबंध में तदर्थ प्रोन्नति के मामलों पर विचार करने के लिए डीपीसी (वरिष्ठ नंबर 1) स्क्रीनिंग कमेटी के रूप में भी कार्य करेगी।

**(ख) विभागीय प्रोन्नति समिति (वरिष्ठ सं. 2)**

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव एवं वैयक्तिक सहायक ग्रेड के लिए।

i	उप सचिव (प्रशासन शाखा के प्रभारी)	अध्यक्ष
ii	श्री इमरान फरीद, उप सचिव	सदस्य
iii	श्री देवेन्द्र सिंह, अवर सचिव	सदस्य
iv	सुश्री श्रीकला एस, अवर सचिव	सदस्य

टिप्पणी : उपर्युक्त पदों के संबंध में तदर्थ प्रोन्नति के मामलों पर विचार करने के लिए डीपीसी (वरिष्ठ नंबर 2) स्क्रीनिंग कमेटी के रूप में भी कार्य करेगी।

जारी...../-

(ग) विभागीय प्रोन्नति समिति (कनिष्ठ)

केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के सभी समूह 'ग' पदों तथा संवर्ग-बाह्य समूह 'ग' पदों के लिए, जहां भर्ती नियमों में किसी विशिष्ट विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना का निर्धारण नहीं किया गया है

i	उप सचिव (प्रशासन शाखा के प्रभारी)	अध्यक्ष
ii	श्री देवेन्द्र सिंह, अवर सचिव	सदस्य
iii	श्री के.एन. भूटिया, अवर सचिव	सदस्य
iv	सुश्री श्रीकला एस, अवर सचिव	सदस्य
v	श्री राघवेन्द्र सिंह कुशवाहा, अवर सचिव (प्रशा.), राजस्व विभाग	बाह्य सदस्य

टिप्पणी : उपर्युक्त पदों के संबंध में तदर्थ प्रोन्नति के मामलों पर विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति (कनिष्ठ) स्क्रीनिंग कमेटी के रूप में भी कार्य करेगी।

3. एम.ए.सी.पी. स्कीम के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन प्रदान करने के लिए मामलों पर विचार करने के लिए स्क्रीनिंग समितियों की संरचना निम्नानुसार होगी :-

(क) वेतन मैट्रिक्स के लेवल 1 से 9 तक के अंतर्गत आने वाले एमएसीपी के मामलों पर विचार करने के लिए स्क्रीनिंग समिति

i	उप सचिव (प्रशासन शाखा के प्रभारी)	अध्यक्ष
ii	सुश्री श्रीकला एस, अवर सचिव	सदस्य
iii	अवर सचिव (प्रशासन)	सदस्य

(ख) संशोधित वेतन मैट्रिक्स के लेवल 10,11 तथा 12 के अंतर्गत आने वाले एम.ए.सी.पी. के मामलों पर विचार करने के लिए स्क्रीनिंग समिति

i	अपर सचिव (प्रशासन शाखा के प्रभारी)	अध्यक्ष
ii	संयुक्त सचिव (पदोन्नति एवं प्रतिनियुक्ति शाखा के प्रभारी)	सदस्य
iii	संयुक्त सचिव (प्रशासन शाखा के प्रभारी)	सदस्य

(ग) वेतन मैट्रिक्स के लेवल 13 तथा उससे ऊपर के अंतर्गत आने वाली एम.ए.सी.पी. के मामलों पर विचार करने के लिए स्क्रीनिंग समिति

i	सचिव, संघ लोक सेवा आयोग	अध्यक्ष
ii	अपर सचिव (प्रशासन शाखा के प्रभारी)	सदस्य
iii	अपर सचिव (परीक्षा)	सदस्य

जारी....!/-

4. संशोधित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-6 में कें.सचि.लि.से. के वरि.सचि. सहायकों/कें.सचि.आ.से. के आशुलिपिक ग्रेड 'घ' को एन.एफ.एस.जी. प्रदान करने के लिए समिति की संरचना निम्नानुसार होगी :-

i	उप सचिव (प्रशासन शाखा के प्रभारी)	अध्यक्ष
ii	श्री अमरीश कुमार, उप सचिव	सदस्य
iii	श्री टी.पी.एन. सिंह, उप सचिव	सदस्य
iv	सुश्री श्रीकला एस, अवर सचिव	सदस्य

5. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली के एफआर 56 तथा नियम 48 के अंतर्गत पुनरीक्षण समितियां -

केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली के एफआर 56 तथा नियम 48 में निहित प्रावधानों के तहत तथा का.एवं प्रशि.विभाग के दिनांक 28.08.2020 के का.ज्ञा.सं. 25013/03/2019-स्था.(ए)-IV द्वारा पुनः दोहराए गए अनुसार सरकारी सेवा में बने रहने के लिए कर्मचारियों की उपयुक्ता की आवधिक समीक्षा के लिए स्थायी समिति की संरचना निम्नानुसार होगी :-

- (क) सभी समूह 'क' अधिकारियों के संबंध में

यह समिति सभी समूह क अधिकारियों के मामलों की समीक्षा करेगी

सचिव, संघ लोक सेवा आयोग	अध्यक्ष
अपर सचिव, प्रशासन शाखा के प्रभारी	सदस्य
अपर सचिव, अखिल भारतीय सेवा शाखा के प्रभारी	सदस्य

- (ख) सभी समूह 'ख' (राजपत्रित) अधिकारियों के संबंध में :-

यह समिति सभी समूह ख (राजपत्रित) अधिकारियों के मामलों की समीक्षा करेगी :-

अपर सचिव, प्रशासन शाखा के प्रभारी	अध्यक्ष
संयुक्त सचिव, प्रशासन शाखा के प्रभारी	सदस्य
संयुक्त सचिव, भर्ती-II के प्रभारी	सदस्य

- (ग) निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में :-

(i) सभी समूह 'ख' (अराजपत्रित) अधिकारी,

(ii) सभी समूह 'ग' अधिकारी जिनके नियोक्ता प्राधिकारी उपसचिव / निदेशक / संयुक्त सचिव (प्रशासन) हैं,

समिति की संरचना निम्नानुसार होगी :-

संयुक्त सचिव, प्रशासन शाखा के प्रभारी	अध्यक्ष
श्री इमरान फरीद, उप सचिव	सदस्य
श्री नितेश रंजन, अवर सचिव	सदस्य

6. वेतन मेट्रिक्स के लेवल 10 तक के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सभी समूह 'ख' पद (सहायक अनुभाग अधिकारी तथा अनुभाग अधिकारी) तथा सभी संवर्ग-बाह्य पदों के लिए विभागीय स्थायीकरण समिति (डीसीसी) जहां भर्ती नियमों में किसी विशिष्ट विभागीय स्थायीकरण समिति की संरचना का निर्धारण नहीं किया गया है, का गठन विभागीय प्रोन्नति समिति (वरिष्ठ सं.1) के समान होगा। इसी प्रकार के.सचि.लि.सेवा के सभी समूह 'ग' पद तथा संवर्ग-बाह्य समूह 'ग' के सभी पद जहां भर्ती नियमों में किसी विशिष्ट विभागीय स्थायीकरण समिति की संरचना का निर्धारण नहीं किया गया है, की संरचना विभागीय प्रोन्नति समिति (कनिष्ठ) के समान होगी। केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के पदों के संबंध में विभागीय स्थायीकरण समिति, विभागीय पदोन्नति समिति (वरिष्ठ सं. 2) के समान होगी।

(शुभाशीष राय)  
अवर सचिव (प्रशा.)  
संघ लोक सेवा आयोग

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. माननीय अध्यक्ष महोदय का कार्यालय /सचिव महोदय का कार्यालय।
2. अपर सचिव (केएसबी)/ अपर सचिव (पीएच) / अपर सचिव (आरके) का कार्यालय।
3. सभी समितियों के अध्यक्ष तथा सदस्य।
4. परामर्शदाता (प्रशासन) को सूचनार्थ।
5. श्री राघवेंद्र सिंह कुशवाहा, अवर सचिव (प्रशा.) राजस्व विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
6. प्रशा. I / II / V / कार्यालय आदेश फाइल।
7. वेब सेल, सं.लो.से.आ. - विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु। (वेब सेल द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में)।